(21)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी जगदीश आर्य आर0ए0एस

प्रकरण नं0 63/2019

मुब्बा पुत्र मुन्शी जाति मेव निवासी ग्राम चिनावडा तहसील पहाडी
सायल

बनाम

1. नबाब
2. सहाब पिसरान रूस्तम
3. खुर्शीद पुत्र मुन्शी जाति मेव निवासी ग्राम चिनावडा पहाडी (भरतपुर)
गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :- श्री गिर्राज प्रसाद शर्मा वकील सायल
श्री नसरू खा वकील गैरसायल संख्या 3

दिनांक :- 04.03.2020

निर्णय

सायल द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट के तहत इस आशय के साथ पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 117/0.12, 2080/3/0.17, 296/2/0.03, 327/1/0.09, 147/0.37, 429/3/0.15, 273/0.19, 287/0.19, 281/2/0.15, 298/0.17, 292/2/0.16, 322/2/0.16, 180/0.16, 296/2/0.03, 327/3/0.10, 305/0.33, 428/1/0.16, 375/0.27, 321/0.40, 304/0.32, 322/0.17, 180/1/0.22, 296/3/0.03, 486/282/0.03, 227/2/0.09, 428/2/0.16, 272/0.22, 281/0.28, 273/1/0.17, 292/0.07, 294/0.23, 322/1/0.16, 421/0.28, किता 33 रकबा 4.83 हैक्टर वाके ग्राम चिनावडा तहसील पहाडी में स्थित है सायल एवं गैरसायलान एक ही परिवार के सदस्य है आराजी मुतदाविया हमारे पिता मुन्शी का रकबा है हम तीनों खातेदार वाहिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा से काश्त करते चले आ रहे है। आराजी खसरा नम्बर 281/0.43 के बाबत सायल गैरसायल संख्या 3 को 2 लाख 5000/-रूपये दे चुका है। फिर भी गैरसायल आराजी खसरा नम्बर 281 में से अपना हिस्सा नाजायज तरीके से बेचना चाहता है। हम तीनों हिस्सेदारो ने आबादी मे के कीमती नम्बरान एक-एक तीनों ने बांट रखे है। ताकि उनमें बसाबट कर सकें

उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

जिसमें प्रार्थी के पास 147/0.39 नम्बर था जिसमें से 1/3 हिस्सा नबाब,व सहाबु ने बेच दिया है। जो अन्य आराजी से तीन गुणा कीमती है। अगर यह 1/3 हिस्सा हमीदी का माना जाता है तो सायल को नबाब व सहाबु के हिस्से में से 24 एयर रकबा 147/0.39 के 1/3 हिस्से के बदले में दिया जावे ताकि सायल के रकबे की पूर्ति हो सके सायल ने दिनांक 30.07.2015 को गैरसायलान 1 व 2 से रकबे की पूर्ति हेतु एवं खुर्शीद से खसरा नम्बर 281 की बाबत नाबेचने का कहा तो गैरसायलान ने कहा कि हम जबरन बेचान करके रहेगे एवं गैरसायल संख्या 1 व 2 ने कहा कि हम चुकता आराजी का बेचान तय कर चुके है। अगर गैरसायलान इस इरादे में कामयाब हो गये तो सायल को ऐसी अपरमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति जर्रे नकद न हो सकेगी। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी से ताफैसला मुकदमा पाबन्द फरमाया जावे कि वे आराजी मुतदाविया को सायल की पूर्ति हुये एवं पुनः बंटवारा हुये आराजी को गैर व्यक्तियों को रहनवय मुन्तकिल न करें एवं राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया । गैरसायल संख्या 1 व 2 बाबजूद सूचना के उपस्थित नहीं आये उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई गैरसायल संख्या 3 मय वकील उपस्थित आया जबाब इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 281/0.43 है0 का है जो पूर्व में सायल एवं गैरसायलान के मृत्तक पिता मुन्शी पुत्र निजरू के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। जिसे वह अपने जीवन काल में काबिज रहकर काश्त करता रहा उनकी मृत्यु के पश्चात् वादी , गैरसायल संख्या 3 व गैरसायल संख्या 1 व 2 के पिता रूस्तम व वाहिस्सा बराबर काश्त करते रहे जिसमें से सायल, गैरसायल संख्या 1 व 2 व 3 के 1/3–1/3 हिस्से के खातेदार है। सायल एवं गैरसायल नं0 अपने पिता से मिली विरासत में समस्त आराजी का बंटवारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कामां में वाद उनवानी खुर्शीद बनाम सुब्बा से बंटवारे का दावा दायर कर आपसी सहमति से दिनांक 28.06.2006 को कर दिया और मुताबिक दावा आराजी खसरा नम्बर 281/0.43 है0 में से सायल को 0.15 है0 तथा गैरसायल संख्या 3 को 0.28 है0 रकबा मिला और इसी प्रकार से अपने–अपने हिस्से पर काबिज है। गैरसायलान ने अपने हिस्से से दिनांक 30.07.2015 को 4/7 हिस्से का बयनामा बेचान कर रहमत पुत्र इमाम खां निवासी चिनावडा को कर दिया तथा शेष 0.12 हैक्टर पर गैरसायल काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है जिसके कुछ हिस्से में

उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

गैरसायल ने रिहायशी मकान बना रखा है और शेष में मौके पर बाजरे की फसल बो रखी है। सायल का गैरसायल के हिस्से की आराजी से कभी कोई संबन्ध नहीं रहा है। सायल ने यह दावा व प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो के आधार पर गैरसायल की आराजी को हडपने की नियत से पेश किया है जो काबिले खारिजी है। गैरसायल ने सायल को अपनी आराजी के किसी भी हिस्से का बेचान कभी भी नहीं किया है और ना ही गैरसायल ने सायल से आराजी के बेचान की बाबत 205000/–रू0 कभी भी नहीं लिये और ना ही बेचान का सौदा किया उसने अपने दावे में सभी तथ्या निराधार व बेमुनियाद अंकित किये है। सायल का गैरसायलान की आराजी से कोई संबन्ध नहीं रहा है और गैरसायल मुताबिक बंटवारा अपने हिस्से की आराजी पर काबिज रहकर काश्त कर रहा है।सायल ने प्रार्थना पत्र गैरसायल की आराजी को बेईमानी से हडपने की नियत से पेश किया है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र सायल मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

हमने वकील फरीकेन की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया विवादित आराजी खसरा नम्बर 281/0.28 बांके ग्राम चिनावडा तहसील पहाडी गैरसायल संख्या 3 की खातेदारी की आराजी है। ऐसी स्थिति में खातेदार को किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र सायल काबिले खारिजी के है।

अतः प्रार्थना पत्र सायल अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर).

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner